प्रेस नोट
दिनांक 07.08.2026

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना मोतीगंज की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीडित की फ्रॉड गयी 2,00,000/– रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीडित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के मार्गदर्शन में थाना मोतीगंज की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बन्धित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए 2,00,000/– पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आवेदक राजेश कुमार पुत्र लालमनि वर्मा द्वारा थाना मोतीगंज की साइबर हेल्प डेस्क में साइबर फ्रॉड गयी उनकी धनराशि की शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसपर थाना मोतीगंज की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 2,00,000/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना मोतीगंज की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स–

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

साइबर हेल्पडेस्क टीम–

01. व0उ0नि0 रामभवन पासवान।
02. आ0 लक्ष्मण प्रसाद।
03. आ0 कौशलेन्द्र सिंह।

04. आ0 सत्यम सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.08.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा श्रावण माह में श्रद्धालुओं एवं कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन हेतु गोण्डा-अयोध्या सीमा पर किए गए रूट डायवर्जन एवं सुरक्षा व्यवस्था का किया गया स्थलीय निरीक्षण, सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

गोण्डा। श्रावण मास में आयोजित पवित्र कांवड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गोण्डा ''श्री विनीत जायसवाल'' द्वारा आज दिनांक 07.08.2026 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत गोण्डा-अयोध्या सीमा पर किए गए रूट डायवर्जन व्यवस्था, कांवड़ यात्रा मार्ग, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थलों तथा प्रमुख चौराहों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया। उन्होंने रूट डायवर्जन योजना का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित रहे तथा आमजन एवं श्रद्धालुओ को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। महोदय द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी सतर्कता, अनुशासन एवं संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। महोदय द्वारा थानाध्यक्ष नवाबगंज को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी पुलिसकर्मी अपने-अपने ड्यूटी प्वाइंट पर समय से उपस्थित रहकर निरंतर भ्रमणशील रहें। यात्रा मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा प्रत्येक सूचना पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए साथ ही रूट डायवर्जन व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन कराए, जिससे किसी भी स्थान पर अनावश्यक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कराते हुए आमजन को पूर्व सूचना उपलब्ध कराई जाए। साथ ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान न आने दिया जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यात्रा मार्ग पर स्थापित बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता तथा अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए तथा संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से फैलने वाली किसी भी भ्रामक अथवा अफवाहपूर्ण सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। कांवड़ यात्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए तथा किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा बताया गया कि जनपद पुलिस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक एवं प्रभावी प्रबंध किए गए हैं तथा सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा एवं मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने जनपदवासियों एवं कांवड़ यात्रियों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें, प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट डायवर्जन व्यवस्था का सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दें, जिससे कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके।

<u>इस अवसर पर थानाध्यक्ष नवाबगंज अभय सिंह सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

श्रावण मास, श्रावण शिवरात्रि, नागपंचमी, मणिपर्वत (श्रावण झूला) मेला एवं रक्षाबंधन के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में विशेष यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू-

श्रावण मास-2026 के दौरान श्रावण सोमवार, श्रावण शिवरात्रि, नागपंचमी, मणिपर्वत (श्रावण झूला) मेला एवं रक्षाबंधन/श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या धाम एवं आसपास के जनपदों में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ एवं वाहनों के दबाव को देखते हुए जनपद गोण्डा में विशेष यातायात एवं डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर यातायात को व्यवस्थित बनाए रखना है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय श्रावण सोमवार एवं श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर **08 अगस्त 2026 प्रातः 08:00 बजे से 12 अगस्त 2026 प्रातः 08:00 बजे तक**, मणिपर्वत (श्रावण झूला) मेला, तृतीय श्रावण सोमवार एवं नागपंचमी के अवसर पर **14 अगस्त 2026 प्रातः 08:00 बजे से 17 अगस्त 2026 रात्रि 11:00 बजे अथवा भीड़ समाप्ति तक**, चतुर्थ/अंतिम श्रावण सोमवार के अवसर पर **23 अगस्त 2026 प्रातः 08:00 बजे से 24 अगस्त 2026 रात्रि 11:00 बजे अथवा भीड़ समाप्ति तक** तथा श्रावण पूर्णिमा स्नान, रक्षाबंधन एवं मेला समापन के अवसर पर **27 अगस्त 2026 प्रातः 08:00 बजे से 28 अगस्त 2026 रात्रि 11:00 बजे अथवा भीड़ समाप्ति तक** विशेष डायवर्जन व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

प्रमुख डायवर्जन व्यवस्था

रूट-एः
लखनऊ से बाराबंकी एवं गोण्डा होते हुए गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीरनगर जाने वाले समस्त वाहनों को **दर्जीकुआँ (थाना कोतवाली देहात)** से डायवर्ट कर **झिलाही रेलवे क्रॉसिंग-मनकापुर-उतरौला मार्ग-डुमरियागंज** होते हुए गंतव्य की ओर भेजा जाएगा।

रूट-बीः
लखनऊ से गोण्डा होकर गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीरनगर जाने वाले वाहनों को **दर्जीकुआँ** से डायवर्ट कर **मोतीगंज-मनकापुर-मसकनवा-बभनान** मार्ग से गंतव्य के लिए भेजा जाएगा।

रूट-सीः
गोण्डा शहर में प्रवेश करने वाले ऐसे वाहनों को **धानेपुर-उतरौला मार्ग** से डायवर्ट कर **बेवा चौराहा/डुमरियागंज** के रास्ते गंतव्य की ओर भेजा जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं

- अयोध्या प्रशासन के निर्देशानुसार लखनऊ से गोरखपुर जाने वाले भारी वाहनों को सामान्यतः **पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे** का प्रयोग करना होगा। पर्वों के दौरान **लखनऊ-बाराबंकी-रामनगर (महादेवा मंदिर) मार्ग** पर भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
- बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं गोण्डा से अयोध्या होकर लखनऊ जाने वाले वाहनों को **जरवल रोड-टिकोरा मोड़-चहलरीघाट-सिधौली-सीतापुर-लखनऊ मार्ग** से भेजा जाएगा।

- गोण्डा से लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों का संचालन श्रावण सोमवार एवं पर्वों के दौरान **जरवल रोड-बाराबंकी मार्ग** पर प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहनों को **हुजूरपुर मोड़-टिकोरा मोड़-चहलरीघाट-सिधौली-सीतापुर मार्ग** से डायवर्ट किया जाएगा।
- आवश्यकता पड़ने पर उतरौला एवं बलरामपुर से लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को **जानकीनगर पुलिस चौकी (थाना इटियाथोक)** से डायवर्ट कर **आर्यनगर-कटरा बाजार-कर्नलगंज मार्ग** से भेजा जाएगा।
- कर्नलगंज-परसपुर-तरबगंज-नवाबगंज मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- गोण्डा शहर से जरवल रोड होकर बाराबंकी-लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को **हुजूरपुर मोड़** से डायवर्ट किया जाएगा।
- कर्नलगंज, परसपुर एवं तरबगंज से नवाबगंज आने वाले भारी वाहनों को **कटी तिराहा** से मनकापुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा। अन्य चारपहिया वाहन **टिकरी मोड़-कोल्हमपुर-लोलपुर** मार्ग से संचालित होंगे।
- **कटी तिराहा से अयोध्या** की ओर केवल श्रद्धालुओं एवं उनके वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- **लकड़मण्डी तिराहा से नया घाट पुल (अयोध्या)** तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस मार्ग पर केवल पैदल श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति होगी।
- **लोलपुर से नवाबगंज** जाने वाले वाहनों को **कोल्हमपुर मार्ग** से डायवर्ट किया जाएगा। केवल श्रद्धालुओं एवं उनके वाहनों को लकड़मण्डी-नवाबगंज मार्ग से प्रवेश दिया जाएगा।

जनसामान्य से अपील

जनपद पुलिस द्वारा समस्त वाहन चालकों एवं आमजन से अपील की जाती है कि निर्धारित डायवर्जन व्यवस्था का पालन करें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं यातायात पुलिस के निर्देशों का अनुपालन करें। अनावश्यक यात्रा से बचें तथा सहयोग एवं संयम बनाए रखते हुए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। जनसहयोग से ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना संभव होगा।